म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक : 22 फरवरी 2008

क्रमांक –443/म.प्र. विनिआ/2008, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 790 (ई) द्वारा ''विद्युत कठिनाईयां हटाना आदेश, 2005'' जो कि ''विद्युत चोरी को नियन्त्रण करने के उपायों को सम्मिलित किये जाने'' से संबंधित है तथा इसके साथ ही विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 में संशोधन द्वारा अधिनियमित ''विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007'' के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयेाग क्रमांक 1740 दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता के सातवें संशोधन द्वारा अधिसूचित ''अध्याय 10 (अ) – विद्युत की चोरी'' तथा विद्युत प्रदाय संहिता के अध्याय 2 में पैरा क्रमांक 2.1(घ) (ii), संबंधी उपबन्ध को प्रतिस्थापित किया गया है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता को मूलतः क्रमांक 861 विनिआ–04 दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में पन्द्रहवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :

(i) यह संहिता ''मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (पन्द्रहवां संशोधन) (क्रमांक एजी–1 (XV), वर्ष 2008) कही जावेगी ।

(ii) यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी ।

(iii) इस संहिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. अध्याय 2 में संशोधन :

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता जिसे इसके बाद प्रधान संहिता कहा जावेगा, **उप कण्डिका ''2.1 (घ) (ii)''** जिसे सातवें संशोधन (एजी–1 (vii), वर्ष 2006) द्वारा अधिसूचित किया गया है, को निम्न उप–कण्डिका द्वारा प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''2.1 (घ) (ii) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत तथा आयोग द्वारा विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत संशोधित धारा 135 (1ए) के प्रथम उपबंध के अन्तर्गत इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी;

3. अध्याय 10 में संशोधन :

प्रधान संहिता में कण्डिका 10.22 के अन्त में, म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 (संशोधनों/परिवर्धनों सहित) के विद्यमान अध्याय 10 (अ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :

''अध्याय 10 (अ) – विद्युत की चोरी''

10 (अ) 1. प्रस्तावना :

10 (अ) 1.1 अधिनियम की धारा 135 विद्युत की चोरी को प्रतिबंधित किये जाने विषयक है । विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से अधिनियम की धारा 135 में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ।

10 (अ) 1.2 विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने का.आ. 790 (अ) दिनांक 8 जून, 2005 द्वारा शीर्षक ''विद्युत कठिनाईयां हटाना आदेश, 2005'' द्वारा राज्य आयोग को विद्युत प्रदाय संहिता में निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों को शामिल किये जाने बाबत् निर्देशित किया है :

(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे, नामतः –

(i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय की प्रत्याशा में, विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभार के आकलन की विधि;

(ii) विद्युत की चोरी अथवा अनधिकृत प्रयोग के मामले में विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित करना और मीटर, विद्युत लाईन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरण हटाना; और

(iii) विद्युत के विपथन (Diversion), चोरी तथा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईन अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपाय ।

(2) विद्युत प्रदाय संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य कानून के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिये तथा देय राशि वसूल करने के लिये अनुज्ञप्तिधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना होंगे।

10 (अ) 1.3 अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप प्रक्रिया के क्रियान्वयन में चोरी को रोके जाने तथा उसका पता लगाये जाने हेतु एकरूपता बनाये जाने की दृष्टि से, ऐसे प्रकरणों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का आ. क्रमांक 790 (अ) दिनांक 8 जून, 2005 जो ''विद्युत कठिनाईयां हटाना, आदेश, 2005'' के अन्तर्गत ''विद्युत प्रदाय संहिता में विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिये उपायों'' को शामिल करने संबंधी है, में ऐसे प्रकरणों में अनुसरण किये जाने वाले विस्तृत दिशा–निर्देशों को विनिर्दिष्ट किया जाना अत्यावश्यक है । ये विनियम इस प्रकार के प्रकरणों में अनुसरण किये जाने वाले दिशा–निर्देशों को विनिर्दिष्ट करते हैं ।

10 (अ) 2 अति उच्च दाब/उच्च दाब तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी के प्रकरणों में विद्युत प्रभारों के आकलन की विधि

10 (अ) 2.1 विद्युत की चोरी बाबत निर्धारण आदेश जारी करना

10 (अ) 2.2 विद्युत चोरी के किसी प्रकरण के पता लगने पर, प्राधिकृत अधिकारी, एतद् पश्चात इस अध्याय में निर्दिष्ट सूत्र/प्रक्रिया के अनुसार, वह सम्पूर्ण अवधि जिसके अन्तर्गत ऐसी की गई चोरी होना पाया गया है, ऊर्जा की खपत का निर्धारण करेगा तथा, यदि तथापि वह अवधि, जिसके अन्तर्गत विद्युत की चोरी होना पाया गया है, का निर्धारण किया जाना संभव न हो तो ऐसी दशा में, ऐसी अवधि को निरीक्षण तिथि से पूर्व के 12 (बारह) माह तक सीमित रखा जावेगा तथा निर्धारण आदेश लागू टैरिफ दर से दुगुनी दर पर तैयार करेगा तथा इसे उक्त व्यक्ति को तामील कर, उससे उचित पावती प्राप्त करेगा । किसी नियमित मीटरीकृत संयोजन के प्रकरण में, जहां विद्युत चोरी का प्रकरण पाया गया हो, मीटर में अनुज्ञेय किये गये यूनिटों की संख्या की वह अवधि जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसे देयक जारी किया गया है, यथोचित उसके खाते में समायोजित किया जावेगा ।

10 (अ) 2.3 ऐसे प्रकरणों में, जिनमें मीटर को उप–मार्गित किया गया हो अथवा मीटर से छेड़छाड़ की गई हो, जिसके कारण, खपत की वह प्रतिशत मात्रा, जिसे लेख्यांकित किये जाने हेतु अथवा सेवा लाईन अथवा वितरण नेटवर्क की विद्युत प्रदाय लाइन(ों) अथवा सेवालाईन से सीधे विद्युत प्राप्त करने हेतु अवरोधित किया गया हो, का निर्धारण सूत्र निम्नानुसार होगा :

10 (अ) 2.3.1 **निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = <u>LxDxHxF,</u> जहां कि**

L - भार (उपभोक्ता परिसर में निरीक्षण के दौरान पाया गया संयोजित भार) किलोवाट में,

D - प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या, जिनके अन्तर्गत चोरी/लघु–चोरी किये जाने का संदेह है तथा उपयोग की भिन्न–भिन्न श्रेणियों हेतु इनकी गणना निम्नानुसार की जावेगीः

(ए)	प्रवृत्त प्रसंस्करण उद्योग (प्रोसेस इण्डस्ट्री)	– 30 दिवस
(बी)	अप्रवृत्त प्रसंस्करण उद्योग	– 25 दिवस
(सी)	घरेलू उपयोग	– 30 दिवस
(डी)	कृषि	– 30 दिवस
(ई)	गैर–घरेलू (प्रवृत्त), नामतः अस्पताल, होटल तथा रेस्टॉरेंट, अतिथि–गृह (गेस्ट–हाउस), पेट्रोल पंप, आदि	– 30 दिवस
(एफ)	गैर–घरेलू (सामान्य), [अर्थात्,(ई) से अन्य]	– 25 दिवस
(जी)	जल–प्रदाय संयंत्र तथा पथ–प्रकाश	– 30 दिवस

H – प्रति दिवस प्रदाय घंटों का उपयोग है जिसका कि विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जावेगा :

(ए)	एकल–पाली कार्यरत उद्योग	– 8 घंटे
(बी)	द्वि–पाली कार्यरत प्रसंस्करण उद्योग	– 16 घंटे

(सी) प्रवृत्त प्रसंस्करण उद्योग – 24 घंटे

(डी) (i) गैर–घरेलू रेस्टॉरेंटों को सम्मिलित कर – 12 घंटे

(ii) होटल, अस्पताल, अतिथि–गृह, पेट्रोल पम्प, आदि – 20 घंटे

(ई) घरेलू – 8 घंटे

(एफ) कृषि – 6 घंटे

(जी) जल–प्रदाय संयंत्र – 8 घंटे

(एच) पथ–प्रकाश – 12 घंटे

F – भार–कारक (लोड फेक्टर) है, जिसका कि विभिन्न श्रेणियों हेतु उपयोग निम्नानुसार लिया जावेगा :

(ए) औद्योगिक – 60 प्रतिशत

(बी) गैर–औद्योगिक – 60 प्रतिशत

(सी) घरेलू – 40 प्रतिशत

(डी) कृषि – 100 प्रतिशत

(ई) जल–प्रदाय संयंत्र – 100 प्रशित

(एफ) पथ प्रकाश – 100 प्रतिशत

(जी) सीधी की जा रही चोरी

(i) घरेलू श्रेणी – 50 प्रतिशत

(ii) घरेलू श्रेणी से अन्य – 100 प्रतिशत

10. (अ) 2.3.2 ऐसे प्रकरणों में, जहां कि मीटर से छेड़–छाड़ किया जाना पाया गया हो तथा प्रयोगशाला में यथोचित परीक्षण उपरान्त मीटर कार्यप्रणाली का धीमा होना पाया जाए, ऐसे प्रकरणों में यूनिटों की संख्या का निर्धारण, इसके परीक्षण परिणामों के अनुसार, उक्त मात्रा तक के आधार के अनुसार जिस सीमा तक मीटर को धीमा लेख्यांकित किया जाना पाया गया हो, अथवा कण्डिका 2.3.1 में विनिर्दिष्ट सूत्र के अनुसार, इनमें से जो भी अधिक हो, किया जावेगा । ऐसे प्रकरणों में, जहां मीटर से छेड़–छाड़ किया जाना पाया गया है, परन्तु जहां यह संस्थापित नहीं किया जाना संभव न हो पाये, कि मीटर की गति धीमी है अथवा वह ठीक प्रतिशत जिसके द्वारा वह कम खपत को लेख्यांकित कर रहा है, परन्तु साथ ही मीटर के पुर्जों/वायरिंग में बाह्य यंत्र(ों), का अन्तर्स्थापित किया जाना पाया गया हो, तो ऐसी दशा में खपत का आकलन कण्डिका 10(अ) 2.3.1 में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किया जावेगा ।

10. (अ) 2.3.3 यूनिटों के आकलन के प्रयोजन से घरेलू जल–पम्प, माइक्रोवेव ओवन, धुलाई मशीनें, मिक्सर, विद्युत प्रेस, लघु घरेलू आटा–चक्की, वेक्यूम क्लीनर टोस्टर, जल–शोधक (वाटर प्यूरीफायर) तथा लघु घरेलू उपकरण, केवल बत्ती, पंखे, टेलीविजन को छोड़कर, के प्रचालन में, वास्तविक घरेलू

प्रयोग के प्रयोजन से विद्युत चोरी के प्रकरणों हेतु खपत की गई यूनिटों की संख्या के कार्यकारी घंटे (अवधि), 100 प्रतिशत भार–कारक (लोड फेक्टर) पर कार्यशील एक घंटा प्रति दिवस से अधिक नहीं माने जावेंगे । समस्त प्रयोक्ता श्रेणियों हेतु, वातानुकूल संयंत्रों, कूलरों तथा गीजरों के प्रकरणों में वर्ष के दौरान प्रयोग की अवधि 6 माह तथा कण्डिका 10 (अ) 2.3.1 के अनुसार उक्त श्रेणी हेतु निर्दिष्ट भार कारक अनुसार कार्यशील घंटे प्रति दिवस ली जावेगी ।

10 (अ) 2.3.4 विद्युत चोरी के प्रकरणों में अस्थाई संयोजनों हेतु, ऊर्जा का आकलन किया जाना

किसी अस्थाई संयोजन के प्रकरण में, विद्युत की चोरी हेतु खपत किये गये यूनिटों का आकलन निम्न सूत्र के अनुसार किया जावेगा :

निर्धारित किये गये यूनिटों की संख्या = **L x D x H.** जहां कि

L = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पाया गया भार) किलोवाट में,

D = दिवसों की संख्या, जिन हेतु विद्युत प्रदाय का उपयोग किया गया है, तथा

H = कृषि संयोजनों हेतु 6 घंटे तथा अन्य उपयोग हेतु 12 घंटे लिया जावेगा ।

10 (अ) 2.4 विद्युत चोरी के पता लगने पर, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि यह लागू हो, का प्राधिकृत अधिकारी ऐसे परिसर के विद्युत प्रदाय को तुरन्त विच्छेदित कर सकेगा ।

10 (अ) 2.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, जैसा कि यह लागू हो, इस संहिता के विनियमों के उपबंध के अनुसार, आकलित राशि अथवा विद्युत प्रभारों के जमा किये जाने अथवा भुगतान किये जाने पर अथवा विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 की कण्डिका 13 (1ए) के द्वितीय उपबंध में संदर्भित शिकायत दर्ज किये जाने संबंधी उत्तरदायित्व के अनुसार, बिना किसी भेदभाव के, ऐसी जमा राशि अथवा भुगतान किये जाने के 48 घंटे के भीतर, विद्युत की प्रदाय लाईन पुनर्स्थापित करेगा ।

10 (अ) 2.6 यदि ऐसा व्यक्ति निर्धारित समय अवधि में भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता ऐसे निर्धारण आदेश के अनुसार ऐसी कोई अग्रिम कार्यवाही कर सकेगा जैसी कि वह सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञापित की गई हो ।

10 (अ) 2.7 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी विद्युत की चोरी संबंधी प्रभारों के आकलन आदेश का क्रियान्वयन किसी समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय पर्यन्त लंबित रखा जावेगा । ऐसे समस्त प्रकरणों में, जहां कि विद्युत की चोरी का पता लगा हो,, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्रकरण को किसी समुचित न्यायालय में निर्णयार्थ दायर करेगा, बशर्ते अपराध का, अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत, इसमें कोई समझौता न कर लिया गया हो ।

10 (अ) 2.8 विलंबित भुगतान किये जाने पर ब्याज को अधिरोपित किया जाना : कथित व्यक्ति द्वारा, आकलित राशि के भुगतान में, उसके द्वारा चूक किये जाने पर, आकलन आदेश जारी होने की तिथि से तीस दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे आकलित राशि के भुगतान के अतिरिक्त, ब्याज

की राशि, जिसकी दर प्रत्येक छमाही चक्रचृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी, समुचित न्यायालय में किसी अधिनिर्णय के अध्यधीन, भुगतान किया जाना बाध्यकारी होगा ।

10 (अ) 2.9 ऐसे परिसरों में, जहां कि विद्युत की चोरी होना पाया गया है, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा विद्युत चोरी के कारण का तत्काल निराकरण किया जावेगा, जिसके अनुसार उसके द्वारा वितरण मेन तक लाईन/केबल/संयंत्र अथवा अन्य कोई वस्तु/उपकरण अवैध मीटर जिन्हें कि विद्युत की चोरी के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग किया जाना संभावित हो, को जब्त कर लिया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा तत्पश्चात विद्युत की और आगे चोरी को रोके जाने हेतु उसकी लाईन, केबल अथवा विद्युत संयंत्र को हटाया जा सकेगा अथवा व्यपवर्तित किया जा सकेगा या परिवर्तित किया जा सकेगा । बशर्ते इस प्रकार की गई कार्यवाही अन्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय दे पाने में अथवा विद्युत प्रदाय में रूकावट के कारण असुविधा में परिणत न हो ।

10 (अ) 3 विद्युत की विपथन (Diversion), चोरी अथवा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपाय

10 (अ) 3.1 विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनें अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, उसे खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने की त्रासदी को कम करने तथा रोकथाम किये जाने की दृष्टि से इस हेतु प्रतिरोधात्मक उपाय किये जाना अत्यावश्यक है ।

10 (अ) 3.2 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता इस संहिता की कण्डिका 8.15 में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूची के अनुसार मापयंत्रों (मीटरों), के नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण की व्यवस्था करेगा ।

10 (अ) 3.3 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, मापयंत्रों पर चोरी–अवरोधक मापयंत्र बक्से (टेम्पर प्रूफ मीटर बॉक्स) लगाये जाने की व्यवस्था करेगा ताकि समस्त व्यक्तियों के परिसरों में, आगामी पांच वर्षों में, चोरी अवरोधक मापयंत्र बक्से सुस्थापित किया जाना सुनिश्चित हो सके । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता इसके साथ–साथ ही सेवा प्रदाय लाईनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से भी करेगा कि यह अच्छे प्रकार से चालू हालत में तथा विसंविहित (इन्सूलेटेड) हैं । जहां–जहां आवश्यक हो सेवा लाईनों को, चोरी रोके जाने की दृष्टि से, बदला जावेगा ।

10 (अ) 3.4 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, व्यक्तियों अथवा अन्य व्यक्तियों के परिसरों के नियमित निरीक्षण हेतु प्रयासों में अभिवृद्धि करेगा ताकि विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनों अथवा मापयंत्र (मीटर) को छेड़–छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके । अधिनियम की धारा 126 एवं धारा 135 से 141 तक के उपबंधों को तथा विद्युत (संशोधन), अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत इन धाराओं में किये गये संशोधनों को सम्मिलित कर, प्रभावशाली ढंग से परिपालन किया जावेगा ।

अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता के सतर्कता दलों द्वारा प्रत्यक्ष विद्युत चोरी के प्रकरणों को, विशेषकर चोरी उन्मुख क्षेत्रों में, प्राथमिकता दी जावेगी ।

10 (अ) 3.5 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता, उच्च मूल्यांकित उपभोक्ताओं के नियमित मासिक अनुवीक्षण (मानिटरिंग) हेतु एक प्रणाली विकसित करेगा जिनमें समस्त उच्च–दाब संयोजन तथा निम्न–दाब संयोजन, जिनकी संविदा मांग 25 अश्वशक्ति तथा इससे अधिक हो, सम्मिलित होंगे । विद्युत खपत में किसी प्रकार के उतार–चढ़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा संदिग्ध प्रकरणों के तत्काल निरीक्षण किये जाने की भी व्यवस्था की जावेगी ।

10 (अ) 3.6 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्रथम चरण में, 33 केवी तथा 11 केवी संभारक (फीडर)–वार तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रवार हानियों का मूल्यांकन राज्य के बड़े शहरों, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा तथा सागर हेतु सुनिश्चित किये जाने की व्यवस्था करेगा । द्वितीय चरण में, जिला मुख्यालय नगरों के समस्त 33 केवी तथा 11 केवी संभारकों तथा 33/11 केवी उपकेन्द्रों की हानियों का मूल्यांकन तथा तत्पश्चात् इनके अन्य क्षेत्रों हेतु ऐसा ही मूल्यांकन किया जावेगा । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता उपरोक्त रीति द्वारा, चिन्हित किये गये क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने की दिशा में उचित कदम उठायेगा ।

10 (अ) 3.7 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयंत्र (मीटर) अधिष्ठापित करेगा तथा स्थानीयकृत उच्च हानि क्षेत्रों को चिन्हांकित किये जाने की दृष्टि से ऊर्जा अंकेक्षण करेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में हानियां कम किये जाने हेतु आगे उचित कार्यवाही करेगा ।

10 (अ) 3.8 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता खपत के अनुवीक्षण तथा विद्युत की चोरी को नियंत्रित किये जाने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर समस्त उच्च–दाब संयोजनों पर सुदूर मापयंत्र (रीमोट मीटरींग) जैसे साधन अधिष्ठापित किये जाने के प्रयास करेगा । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता तत्पश्चात समस्त उच्च मूल्यांकित निम्न–दाब संयोजनों पर भी सुदूर मापयंत्र जैसे साधन अधिष्ठापित किये जाने के प्रयास भी करेगा ।

10 (अ) 3.9 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्रचार–प्रसार माध्यमों, टेलीविजन तथा समाचार–पत्रों के माध्यम से वाणिज्यिक हानियों के स्तर तथा इसके ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव के बारे में जागरूकता लाये जाने की दृष्टि से यथोचित प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करेगा तथा विद्युत चोरी की रोकथाम अथवा विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईनें अथवा मापयंत्र से छेड़छाड़ करने, खतने में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों हेतु सहयोग प्राप्त करेगा । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता उसके उपभोक्ता सेवा संबंधी कार्यालयों पर उपरोक्त से संबंधित जानकारी प्रदर्शन करने वाले फलक भी स्थापित करेगा ।

10 (अ) 3.10 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता कंपनीवार, क्षेत्रवार, वृत्तवार, संभागवार, जिला–मुख्यालयवार, विद्युत के विपथन, विद्युत की चोरी अथवा इसके अनधिकृत उपयोग करने अथवा विद्युत संयंत्र,

विद्युत लाईनों अथवा मापयंत्र से छेड़–छाड़ करने, इसे खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के उपायों के संबंध में किये गये प्रयासों को तथा इनके द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त परिणामों को नियमित आधार पर उसकी वैबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था करेगा ।

10 (अ) 3.11 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता प्राधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु अपेक्षित सुरक्षा बल प्रदान किये जाने संबंधी व्यवस्था करेगा तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्ययों को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा । ऐसे सुरक्षा दल सदैव प्राधिकृत अधिकारियों के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके साथ रहेंगे ।

10 (अ) 3.12 जहां–जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता विद्युत चोरी उन्मुख क्षेत्रों में शिरोपरि अनावृत्त संवाहकों को केबलों द्वारा बदल सकेंगे, ताकि अनुज्ञप्तिधारी की लाईनों से सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा ।

10 (अ) 3.13 जहां–जहां भी आवश्यकता हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता चोरी उन्मुख क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (बिना निम्न–दाब प्रणाली वाला) प्रदान कर सकेगा जिसमें लघु क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का उपयोग किया जावेगा जिससे कि सीधे कांटा (हुक) लगाकर चोरी को प्रतिबंधित किया जा सके तथा ऐसे उद्देश्य से किये गये व्यय को उनकी वार्षिक राजस्व आवश्यकता को अन्तरित किया जावेगा ।

10 (अ) 3.14 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता विद्यमान उपभोक्ताओं के मापयंत्रो (मीटरों) की पुर्नस्थापना किसी उपयुक्त स्थल पर किये जाने हेतु प्राधिकृत होगा ताकि इसका स्पष्टतः अवलोकन किया जा सके तथा इसका वाचन परिसर में बाहर से परन्तु अहाते के अन्दर से पढ़ा जा सके तथा इस स्थान पर वाचन, परीक्षण/जांच तथा संबंधित कार्यों हेतु आसानी से पहुंचा जा सके । ऐसे संदिग्ध प्रकरणों में जहां निरंतर चौकसी किया जाना संभव न हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खंभों (पोल)/ फीडर स्तंभों पर जांच मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित कर सकेगा । विद्युत की चोरी का पता लगने पर, चोरी पाये जाने के बाद की अवधि हेतु, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता अपने खम्भों/फीडर स्तंभों पर ऐसे संयोजनों हेतु बिलिंग मापयंत्र (मीटर) स्थापित कर सकेंगे ।

10 (अ) 3.15 ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां विद्युत की चोरी किये जाने का पता लगा हो, वहां पर उनका अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा पृथक से अनुवीक्षण किया जावेगा जिसका कि निर्धारित की गई राशि तथा भविष्य में की जाने वाली खपत से संबंधित देयकों की वसूली बाबत् संक्षिप्त प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत किया जावेगा ।

10 (अ) 3.16 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा, ऐसे प्रकरणों की सूची जहां कि विद्युत की चोरी के बारे में पता चला हो, उनके द्वारा संधारित की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता ऐसे प्रकरणों की सूची, जहां चोरी के द्वितीय अपराध तथा अनुवर्ती अपराध किये गये हों, स्पष्ट

रूप से चिन्हित किये जाने की दृष्टि से भी संधारित करेंगे तथा वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इन पर कार्यवाही करेंगे ।

10 (अ) 3.17 अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता उनकी विद्युत प्रदाय लाईनों/संयंत्रों, मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों की क्षति अथवा आपदा–ग्रस्त होने की रोकथाम हेतु पर्याप्त संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान कर समस्त सावधानियां बरतेगे । अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता विद्युत अधिनियम की धारा 136 से 141 के उपबंधों के अन्तर्गत उनकी लाईनों/संयंत्रों, मापयंत्रों अथवा ऐसे अन्य उपकरणों के क्षतिग्रस्त अथवा आपदा–ग्रस्त पाये जाने पर त्वरित समुचित कार्यवाही करेंगे, ताकि इस प्रकार की वृत्तियों का निराकरण/रोकथाम की जा सके ।''

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव